

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-27082025-265738
SG-DL-E-27082025-265738असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253]	दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 26, 2025/भाद्र 4, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 196
No. 253]	DELHI, TUESDAY, AUGUST 26, 2025/BHADRA 4, 1947	[N. C. T. D. No. 196

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 अगस्त, 2025

विषय: राजपत्र अधिसूचना के दिनांक 11.11.2016 के द्वारा काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) दिशा-निर्देश, 2016 के परिच्छेद (3) के अनुसार राज्य स्तरीय समिति के गठन के संबंध में।

फा.सं. 8(03)/वन/मुख्या./योजना/2019/भाग-2/7086.—जबकि, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 05.10.2015 के आदेश में निहित निर्देशों के अनुपालन में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) दिशा-निर्देश, 2016 तैयार किए हैं तथा इसे दिनांक 11.11.2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था;

और जबकि, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने उक्त दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है तथा इसे दिनांक 11.09.2017 और 22.02.2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।

और जबकि, दिशा-निर्देशों के परिच्छेद (3) में उक्त दिशा-निर्देशों में निर्धारित कार्यों को निष्पादित करने के लिए एक राज्य स्तरीय समिति के गठन का प्रावधान है।

काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) दिशा-निर्देश, 2016, दिनांक 11.11.2016 के परिच्छेद (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एतद् द्वारा एक राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक/एपीसीसीएफ एवं विभागाध्यक्ष, वन एवं वन्यजीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	अध्यक्ष
2.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय (लखनऊ) का एक प्रतिनिधि	सदस्य
3.	विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव (ई एवं एफ), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सदस्य
4.	मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन), वन एवं वन्यजीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सदस्य
5.	मण्डलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि, जो उपायुक्त के रैंक से नीचे का न हो	सदस्य
6.	आयुक्त, एमसीडी का प्रतिनिधि, जो अपर आयुक्त, एमसीडी के रैंक से नीचे का न हो	सदस्य
7.	उद्योग विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि, जो उपायुक्त के रैंक से नीचे का न हो	सदस्य
8.	वन संरक्षक, वन एवं वन्यजीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सदस्य सचिव

समिति काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) दिशा-निर्देश, 2016, दिनांक 11.11.2016 में यथा निर्धारित कार्यो का निष्पादन करेगी, जिसे दिनांक 11.09.2017 तथा 22.02.2019 के राजपत्र अधिसूचना के द्वारा संशोधित किया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
संदीप कुमार, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 20th August, 2025

Sub: Constitution of State Level Committee as per para (3) of the Wood-Based Industries (Establishment and Regulation) Guidelines, 2016 vide Gazette Notification, dated 11.11.2016-reg.

F. No. 8(03)/Forest/HQ/Plg./2019/Part-2/7086.—WHEREAS, in compliance with the directions contained in order, dated 05.10.2015 of the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995, in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Versus Union of India and others, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India has formulated the Wood-Based Industries (Establishment and Regulation) Guidelines, 2016 and the same were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated 11.11.2016;

AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India has amended the said guidelines and the same were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated 11.09.2017 & 22.02.2019.

AND WHEREAS, the para (3) of the guidelines provides for the constitution of a State Level Committee to perform the functions stipulated in the said guidelines.

In exercise of the powers conferred by Para (3) of Wood Based Industries (Establishment & Regulation) Guidelines, 2016 dated 11.11.2016, the Govt. of NCT of Delhi hereby constitutes a State Level Committee (SLC) consisting of the following members:

1.	Principal Chief Conservator of Forests/ APCCF & HoD, Department of Forests & Wildlife, GNCTD	Chairperson
2.	A representative of the Regional Office (Lucknow), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, GoI	Member

3.	Special Secretary /Joint Secretary /Dy. Secretary (E&F), GNCTD	Member
4.	Chief Conservator of Forests (Admn.), Department of Forests & Wildlife, GNCTD	Member
5.	Representative of Divisional Commissioner, GNCTD not below the rank of Deputy Commissioner	Member
6.	Representative of Commissioner, MCD not below the rank of Additional Commissioner, MCD	Member
7.	Representative of Department of Industries, GNCTD not below the rank of Deputy Commissioner	Member
8.	Conservator of Forests, Department of Forests & Wildlife, GNCTD	Member Secretary

The committee shall perform the functions as stipulated in the Wood-Based Industries (Establishment and Regulation) Guidelines, 2016 dated 11.11.2016 amended vide Gazette Notification dated 11.09.2017 and 22.02.2019.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
SANDEEP KUMAR, Principal Secy.